दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 25 मई, 2023

सि.पु.या. 14/2019 और सि.वि.आ. 3072/2019

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इंद्रबीर सिंह उप्पल .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनिल के. खवारे, अधिवक्ता।

बनाम

मनु नैय्यर ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री संवर्तिका पाठक, श्री अक्षत डबराल और श्री नितिन कुमार, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री ज्योति सिंह

निर्णय

न्या., ज्योति सिंह (मौखिक)

1. वर्तमान पुनर्विचार याचिका याचिकाकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2018 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता यहां विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 (इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित) है और प्रत्यर्थी वादी है और इसके बाद पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी मुकदमेबाजी की स्थिति से संदर्भित किया गया है।

2. वर्तमान पुनर्विचार याचिका की उत्पत्ति वादी द्वारा विभिन्न प्रतिवादियों के खिलाफ दायर वाद से हुई है, जिसमें दिनांक 11.06.2012 के विक्रय विलेख की घोषणा/रद्द करने और अन्य राहतों के बीच स्थायी और अनिवार्य व्यादेश के साथ-साथ लेखा प्रस्तुत करने की मांग की गई है। वाद में समन तामील किए जाने पर, प्रतिवादी ने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11(क), (ख) और (घ) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन दायर किया। वादी द्वारा उक्त आवेदन पर जवाब दाखिल किया गया था और आक्षेपित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया था।

3. जिन आधारों पर प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र की अस्वीकृति की मांग की गई थी, वे थे: (क) वादपत्र में वाद

हेतुक का कोई कारण नहीं बताया गया है और वाद स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और तुच्छ अभिवचनों पर आधारित है; (ख) प्रश्नगत विक्रय विलेख को तुच्छ और अनुचित अभिवचनों के आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि वादी विक्रय विलेख की विषय-वस्तु से अनभिज्ञ था, इस तथ्य के बावजूद कि विक्रय विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है और लगभग 29 स्थानों पर वादी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और यह कि एक पेशेवर अधिवक्ता होने के नाते वह जानता था या उसे जानना और समझना चाहिए था कि वह किस पर हस्ताक्षर कर रहा है; (ग) विक्रय विलेख का निष्पादन, वादी के अंगूठे का निशान और विक्रय विलेख पर विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर के साथ-साथ उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में विक्रय विलेख के निष्पादन के दौरान वादी की उपस्थिति महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें वादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है; और (घ) विक्रय विलेख जो एक लिखित दस्तावेज है, का खंडन करने के लिए कोई मौखिक कथन नहीं बनाया जा सकता है या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 91 और 92 के शब्दशः खिलाफ होगा।

4. वादी ने आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि: (क) वादपत्र के पठन से वादी के पक्ष में वाद हेतुक का खुलासा होता है

और कारण को बताना किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है; (ख) प्रतिवादी द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसने अवैध रूप से और बेईमानी से एम-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली (इसके बाद 'वाद संपत्ति' के रूप में संदर्भित) वाली संपत्ति में वादी के हिस्से का 50% हड़पने की दृष्टि से, वादी की जानकारी और सहमति के बिना और विक्रय प्रतिफल का भुगतान किए बिना, अपने पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए; (ग) वादी को कथित रूप से भुगतान किए गए रु.1,00,000/- संपत्ति के मूल्यांकन के किसी भी तरह से करीब नहीं है और वादी के लिए इतनी कम राशि के लिए अपने हिस्से को छोड़ने के लिए सहमत होने का कोई कारण नहीं था; और (घ) वादी का मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत आता है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी तथ्य सिद्ध किया जा सकता है जो किसी दस्तावेज को अमान्य करेगा या जो किसी व्यक्ति को उससे संबंधित डिक्री या आदेश का हकदार बनाएगा, जैसे धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता आदि।

5. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा कानून के मद्देनजर आवेदन को खारिज कर दिया कि 11 सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम के तहत एक आवेदन न्यायनिर्णयन केवल वादपत्र में दिए गए कथनों के आलोक में किया जाना चाहिए और लिखित बयान में

प्रतिवादी द्वारा दिए गए अभिकथन उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। विचारण न्यायालय ने वादपत्र की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि वादपत्र में दिए गए कथनों के पठन से, वाद हेतुक का खुलासा होता है क्योंकि वादी द्वारा विशिष्ट कथन किए गए हैं कि प्रतिवादी, जो उसका पुराना दोस्त था, द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। यह कहा गया है कि वादी को विक्रय विलेख की वास्तविक विषय वस्तु के बारे में पता नहीं था और उसे इसके बारे में तभी पता चला जब उसने पिछला वाद, वाद सं. 417/2013 दायर किया था। वादी को प्रतिवादी पर अंधविश्वास था और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि प्रतिवादी संपत्ति के वास्तविक सौदे और विक्रय प्रतिफल सहित विक्रय विलेख की विषय वस्तु के संबंध में गलत बयानी कर रहा था और इसलिए वादी का मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के पहले परंतुक के तहत आता है। जहाँ तक प्रतिवादी का तर्क है कि वादी एक अधिवक्ता है और एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते उसे पंजीकृत दस्तावेज़ के निहितार्थ को जानना और समझना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह साक्ष्य का मामला होगा कि क्या वादी को विक्रय विलेख की विषय वस्तु का ज्ञान था और/या क्या विक्रय विलेख का निष्पादन और हस्ताक्षर धोखाधड़ी और गलत बयानी द्वारा किया

गया और इन मुद्दों पर सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर न्यायनिर्णयन करने के चरण में तय नहीं किया जा सकता है।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष आग्रह किए गए तर्कों को दोहराया, जिन्हें इस फैसले के पहले भाग में शामिल किया गया है और दोहराया नहीं जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के ***दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली (गजरा) विधिक प्रतिनिधियों और अन्य के द्वारा मृतक, (2020) 7 एससीसी 366,*** के निर्णय पर भरोसा किया है, विशेष रूप से, पैराग्राफ 29.2, 29.8, 29.9 और 29.13 पर। इस न्यायालय के ***राजीव सरीन बनाम दिव्यांशु एंटरप्राइजेज और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 362,*** के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है विशेषकर, पैराग्राफ 19 पर, जो इस प्रकार है:-

> "*19. वादी के इस तर्क पर आते हुए कि 3-4-2018 का विक्रय विलेख धोखाधड़ी और जबरदस्ती द्वारा प्राप्त किया गया था और इस प्रकार, विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग करने वाला वर्तमान वाद इस न्यायालय के समक्ष पोषनीय था और सरफेसी अधिनियम की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं था, यह ध्यान दिया जाता है कि वादपत्र में धोखाधड़ी का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि केवल धोखाधड़ी के आरोप से धोखाधड़ी को स्थापित नहीं कर सकते हैं।*

कथित धोखाधड़ी का विशिष्ट विवरण और ब्योरा देना पड़ता है, जो वर्तमान मामले में नहीं दिया गया है। बिना किसी महत्वपूर्ण विवरण के "धोखाधड़ी"/"बेईमानी" शब्द का उपयोग करने वाला अभिवचन "धोखाधड़ी" का अभिवचन देने के समान नहीं होगा। इस संबंध में, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड बनाम यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड बनाम यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2022) 2 एससीसी 573] और नेहा अग्रवाल बनाम पीएनबी आवास वित्त लिमिटेड [नेहा अग्रवाल बनाम पीएनबी आवास वित्त लिमिटेड, 2016 एससीसी ऑनलाइन दिल 3765] में उच्चतम न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे उसके खिलाफ 27-3-2017 को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, वादपत्र में धोखाधड़ी के आरोप कुछ और नहीं बल्कि चतुराई से मसौदा तैयार करने के परिणाम के अलावा कुछ भी नहीं प्रतीत होते हैं, ताकि सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत रोक के बावजूद वाद को सिविल न्यायालय के समक्ष पोषनीय बनाया जा सके।

7. वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रस्तुतियाँ की हैं जो वही हैं जो विचारण न्यायालय के समक्ष आग्रह की गई हैं और जैसा कि ऊपर बताया गया है और ***मायर (एच.के.) लिमिटेड और अन्य बनाम मालिक और पक्षकारगण, वेसल एम.वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100*** के मामले में उच्चतम न्यायालय

के फैसले पर आश्रित हैं साथ ही इस न्यायालय के ***ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) श्याम प्रसाद बनाम दयावती एवं अन्य, 2010 एससीसी ऑनलाइन डेल 145*** के फैसले पर भी, यह तर्क देने के लिए आश्रित हैं कि वादपत्र को न्यायालय द्वारा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह वाद हेतुक का खुलासा करता है या नहीं और यह कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में लिखित बयान में लगाए गए आरोपों या बचाव में जाने की अनुमति नहीं है। जब तक वादपत्र वाद हेतुक का कुछ खुलासा नहीं करता है जिसके लिए न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है, केवल यह तथ्य कि न्यायालय की राय में, वादी सफल नहीं हो सकता है, वादपत्र की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है।

8. प्रतिवादी के तर्क के जवाब में कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के मद्देनजर लिखित दस्तावेज के विपरीत कोई मौखिक कथन या साक्ष्य नहीं लिया जा सकता है और इस प्रकार विक्रय विलेख के निष्पादन पर वादी द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है, वादी के अधिवक्ता ने ***ईश्वर दास जैन (मृतक) द्वारा वि.प्रति. बनाम सोहन लाल (मृतक) द्वारा वि.प्रति., 1999 एससीसी ऑनलाइन एससी 1235*** में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी दलीलों की जांच की है।

10. वर्तमान पुनर्विचार याचिका प्रतिवादी द्वारा सि.प्र.सं. की धारा 115 के तहत दायर की गई है। यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाना है। यह केवल तीन स्थितियों में है कि उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है अर्थात जहां विचारण न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है या इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है या अवैधता या भारी अनियमितता के साथ काम किया है। ***[संदर्भ टेक सिंह बनाम शशि वर्मा और अन्य, (2019) 16 एससीसी 678]।***

11. यह समान रूप से तय है कि किसी वादपत्र को खारिज करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर गौर करने की आवश्यकता है, वे वादपत्र में दिए गए प्रकथन हैं और लिखित बयान में लगाए गए आरोपों/प्रकथनों पर इस स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अदालतों ने बार-बार अभिनिर्धारित किया है कि वादपत्र को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह 'वाद हेतुक' का खुलासा करता है, जो राहत प्राप्त करने

के लिए किए जाने वाले आवश्यक तथ्यों का एक पुलिंदा है। इस स्तर पर, जब तक वादपत्र वाद हेतुक का कुछ खुलासा करता है जिसके लिए न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन/निर्धारण की आवश्यकता होती है, वादपत्र को इस तथ्य से *असंबद्ध* होकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि बाद के चरण में वादी मांगी गई राहत प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। ***[संदर्भ: सलीम भाई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2003) 1 एससीसी 557, सोपान सुखदेव साबले और अन्य बनाम सहायक पूर्त आयुक्त और अन्य, (2004) 3 एससीसी 137*** और ***मायर (एच.के.) लिमिटेड (पूर्वोक्त)]।***

12. वर्तमान मामले में, वादी ने अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के साथ-साथ दिनांक 11.06.2012 के विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए वाद दायर किया है, जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता की पत्नी यानी यहाँ वाद में प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर वाद संपत्ति के संबंध में निष्पादित किया गया है। जबकि प्रतिवादी आग्रह करता है कि वादपत्र वाद हेतुक का कोई खुलासा नहीं करता है और कई स्थानों पर वादी के हस्ताक्षर वाले विक्रय विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया गया है और उसका विक्रय विलेख के निष्पादन के समय भी मौजूद रहा है, इससे वादी इसे रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वादी विक्रय विलेख के निष्पादन में धोखाधड़ी का अभिवचन देता है

और आग्रह करता है कि उसे इसकी सामग्री के बारे में पता नहीं था, इस तथ्य के अलावा कि कथित विक्रय प्रतिफल का पक्षकारों के बीच कभी लेन देन नहीं हुआ। जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 की प्रयोज्यता का संबंध है, जबकि प्रतिवादी का मामला यह है कि लिखित दस्तावेज यानी विक्रय विलेख के मद्देनजर, इसका खंडन करने के लिए कोई मौखिक बयान नहीं दिया जा सकता है और यह वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार है, वादी का मामला कि वादपत्र को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, धारा 92 के पहले परंतुक पर प्रतिपादित है, धोखाधड़ी और गलत बयानी आदि आरोपों को देखते हुए धारा 92 के पहले परंतुक पर आधारित है।

13. विरोध करने पर अपनी संपूर्णता में वाद का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय वादी के अधिवक्ता से सहमत है कि इसे सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए शुरुआत में इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट सिद्धांतों के आधार पर और वाद में किए गए कथनों की जांच करते हुए, यह पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि वादी ने एक मामला स्थापित किया है कि प्रतिवादी ने जून, 2012 के महीने में वादी को वाद संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ने का विकल्प दिया और 1.5 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य पर 50% खरीदने में रुचि

दिखाई। कॉलेज के दोस्त होने के नाते, वादी को प्रतिवादी पर अंधविश्वास था और उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए, उसने उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों पर कोई सवाल नहीं उठाया। वादी ने अपने और प्रतिवादी के बीच निर्यात व्यवसाय का विस्तृत विवरण भी दिया है, जिसके कारण वादी पर धनराशि देय थी और जिसे प्रतिवादी ने वाद संपत्ति के सौदे के समय समायोजित करने का वादा किया था। यह भी कहा गया है कि उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। वादपत्र में संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को किराए पर देने और बाद में उसे बेचने के प्रयास करने के प्रतिवादी के कृत्यों के संबंध में भी कथन शामिल हैं। यह आगे कहा गया है कि वादी ने पहले वाद सं. 417/2013 दायर किया था और उक्त कार्यवाही में पहली बार उसे यह पता चला था कि विक्रय विलेख प्रतिवादी की पत्नी के नाम पर निष्पादित किया गया था और उक्त दस्तावेज को देखने पर यह पता चला कि विक्रय विलेख में एक झूठी प्रसंविदा शामिल है कि विक्रय प्रतिफल के लिए वादी को 29 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। वादपत्र के अनुसार, उक्त विक्रय विलेख में उल्लिखित चेक संख्याएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और यहां तक कि नकद में भुगतान के परिमाण की टिप्पणी भी पूरी तरह से गलत है। यह भी

कहा गया है कि प्रतिवादी लोगों को धोखा देने का आदी है और उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1)(घ) और (2) सहपठित भा.दं.सं. की धारा 120-ख और 470 के तहत भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है और 4 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वादपत्र के पढ़ने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वाद हेतुक का कोई खुलासा नहीं करता है। वादपत्र में उठाए गए मुद्दों को न्यायालय द्वारा निर्धारण या न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होगी और इस स्तर पर न्यायालय प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने से इनकार करने के अलावा धोखाधड़ी और गलत बयानी के आरोप हैं और विक्रय विलेख की सामग्री के संबंध में भी विवाद है। वादी ने चेकों के चेक संख्याओं पर भी विवाद किया है जिसके माध्यम से कथित रूप से आंशिक विक्रय प्रतिफल का भुगतान किया गया था और साथ ही नकद भुगतान की रशीद भी दी गई थी। यह, मेरे विचार में, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, विचारण का विषय है और इसका केवल तभी निपटान किया जा सकता है जब पक्षकार साक्ष्य पेश करते हैं और वादपत्र शुरुआत में ही खारिज किए जाने के लायक नहीं होता है।

14. उच्चतम न्यायालय का ***दहिबेन (पूर्वोक्त)*** के निर्णय पर प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया गया उससे उसे फायदा नहीं हो सकता। जहां तक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रतिपादना का संबंध है कि सि.प्र.सं. का आदेश VII नियम 11 एक स्वतंत्र और विशेष उपाय है जो न्यायालय को वाद को प्रारंभ में ही बिना देरी किए खारिज करने में सक्षम बनाता है, कोई झगड़ा नहीं हो सकता है और एक बाध्यकारी इतरोक्ति है, हालांकि, निर्णय इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है। निर्णय को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने वादपत्र और दस्तावेजों के पढ़ने पर पाया कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया था और पूर्ण विक्रय प्रतिफल का भुगतान भी स्वीकार किया था। विक्रय विलेख में दर्ज किया गया है कि पूरे विक्रय प्रतिफल की रकम के लिए 36 चेक वादी को दिए गए थे। इस पृष्ठभूमि में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर वाद में बनाए गए मामले पर विश्वास किया जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि विक्रय प्रतिफल का लगभग 99% यानी रु.1,73,62,000/- कथित रूप से अभुक्त रहा और वादी अभुक्त विक्रय प्रतिफल के भुगतान के लिए कानूनी नोटिस जारी किए बिना या वसूली के लिए वाद दायर किए बिना साढ़े पांच साल से अधिक समय तक चुप रहा। यह देखा गया कि भले ही वादी

के कथन को सही माना जाए, संपूर्ण बिक्री प्रतिफल का भुगतान न करना विक्रय विलेख को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि वादी के पास शेष प्रतिफल की वसूली के लिए कानून में अन्य उपाय होंगे। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां अनिवार्य रूप से प्रतिवादी द्वारा दी गई दलील की सीमा के संदर्भ में थीं और उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादपत्र के पढ़ने से यह स्पष्ट था कि विक्रय प्रतिफल के बड़े हिस्से का भुगतान न करने पर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ, यह घटना 2009 में हुई थी और वादी द्वारा विक्रय विलेख पर सवाल उठाने के लिए उठाई गई दलील केवल भ्रामक वाद हेतुक बनाने के लिए थी ताकि सीमा की अवधि को को पार किया जा सके। उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग थे, जहां वादी धोखाधड़ी और गलत बयानी के आरोपों पर विक्रय विलेख और इसकी सामग्री पर सवाल उठाना चाहता है, यह भी आरोप लगाता है कि विक्रय प्रतिफल का भुगतान कभी नहीं किया गया था। जहां तक ***राजीव सरीन (पूर्वोक्त)*** के निर्णय का का संबंध है, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उसके पैरा 19 पर भरोसा किया था। निर्णय को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में वादी का तर्क यह था कि विक्रय विलेख धोखाधड़ी और जबरदस्ती द्वारा प्राप्त किया गया था और इसलिए विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग करने

वाला वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय था और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 34 द्वारा वर्जित नहीं था। इस संदर्भ में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी ने कथित धोखाधड़ी के विशिष्ट विवरण और विवरणों का खुलासा नहीं किया था और वादपत्र केवल सिविल न्यायालय के समक्ष वाद लाने के लिए एक चतुर मसौदा तैयार किया गया था। जाहिर है, इस मामले का वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है।

15. वादी के अधिवक्ता, मेरे विचार में, ***ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) श्याम प्रसाद (पूर्वोक्त)*** के निर्णय पर भरोसा करना सही है जिसमें न्यायालय ने ***मायर (एच.के.) लिमिटेड (पूर्वोक्त)***, निर्णय पर भरोसा किया है, पैरा 12 निम्नानुसार है:-

> *"12. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि वादपत्र को प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में लगाये गये आरोपों या वादपत्र की अस्वीकृति के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत को यह पता लगाने के लिए पूरे वाद पत्रको पूरा पढ़ना होगा कि क्या वह वाद हेतुक का खुलासा करता है और यदि ऐसा होता है, तो संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत द्वारा वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, क्या वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा करता है, यह तथ्य का*

प्रश्न है जिसे वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर पूरी तरह से इकट्ठा किया जाना चाहिए और उन कथनों को सही माना जाना चाहिए। वाद हेतुक तथ्यों का एक पुलिंदा है जिसे अवमुक्ति प्राप्त करने के लिए साबित करना आवश्यक है और उक्त उद्देश्य के लिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाना आवश्यक है, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर सबूत नहीं, जहां जिन दलीलों पर भरोसा किया गया है, वे गलत बयानी, धोखाधड़ी, जानबूझकर चूक, अनुचित प्रभाव या एक ही प्रकृति के संबंध में हैं। जब तक वादपत्र वाद हेतुक का कुछ खुलासा करता है जिसके लिए अदालत द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है, केवल यह तथ्य कि न्यायाधीश की राय में वादी सफल नहीं हो सकता है, वादपत्र की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, वाद पत्र में दिए गए कथन, जैसा कि हमने देखा है, वाद हेतुक का खुलासा करते हैं और इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर वाद की अस्वीकृति के लिए नहीं किया जा सकता है।

16. वादी के अधिवक्ता ने भी ***ईश्वर दास जैन (मृतक) द्वारा वि.प्रति. (पूर्वोक्त)*** निर्णय पर सही भरोसा किया है, जहां ***श्रीमती गंगाबाई पत्नी रामबिलास गिल्डा बनाम श्रीमती छबुबाई पत्नी बुखाराजी गांधी, (1982) 1 एससीसी 4,*** के पहले के निर्णय पर

भरोसा किया गया जहां उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 (1) के बावजूद, विलेख में पक्षकार के लिए यह तर्क देना स्वीकार्य है कि विलेख पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह एक दिखावटी दस्तावेज़ था। ***श्रीमती गंगाबाई पत्नी रामबिलास गिल्डा (पूर्वोक्त)*** के निर्णय का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:-

> *"धारा 92 (1) द्वारा लगाया गया प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है जब कोई पक्षकार लेनदेन की शर्तों को मूर्त रूप देने वाले दस्तावेज़ पर भरोसा करना चाहता है, न कि जब किसी पक्षकार का मामला यह है कि दस्तावेज़ में दर्ज लेनदेन पर पक्षकारों के बीच बिल्कुल भी कार्रवाई करने का इरादा नहीं था और यह कि दस्तावेज़* दिखावटी *है। ऐसा सवाल तब उठता है जब पक्षकार दावा करता है कि पूरी तरह से एक अलग लेनदेन था मौजूद था और दस्तावेज़ में जो दर्ज किया गया है उसका कोई परिणाम नहीं होना था। उस उद्देश्य के लिए मौखिक साक्ष्य यह दिखाने के लिए स्वीकार्य है कि निष्पादित दस्तावेज को कभी भी एक समझौते के रूप में क्रियान्वित करने का इरादा नहीं था, लेकिन यह कि कुछ अन्य समझौते, पूरी तरह से, दस्तावेज़ में दर्ज नहीं किए गए थे, पक्षकारों के बीच दर्ज किए गए थे।"*
>
> *(जोर दिया गया है)*

17. वादपत्र में कथनों का पता लगाने के बाद, यह न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत है कि धोखाधड़ी और गलत बयानी के आरोपों के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के पहले परंतुक के तहत वादी को उपलब्ध बचाव के मद्देनजर, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां विचारण न्यायालय को सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि शुरुआत में वाद को खारिज कर दिया जाए और उठाए गए मुद्दों को साक्ष्य और न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होती है।

18. उपरोक्त सभी कारणों से, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं मिलती है और लंबित आवेदन के साथ पुनर्विचार याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं।

न्या., ज्योति सिंह,

25 मई, 2023/शिवम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*